अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
All India Council for Technical Education

अभातशिप – स्नातकोत्तर (पीजी)

छात्रवृत्ति योजना

हेतु

दिशा – निर्देश

2020-21

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
All India Council for Technical Education

अभातशिप - स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति

1.0 योजना के उद्देश्य:

अभातशिप द्वारा तकनीकी शिक्षा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए गेट / जीपेट अर्हता प्राप्त ऐसे छात्रों को जिन्होंने अभातशिप द्वारा अनुमोदित संस्थानों / विश्वविद्यालय विभागों में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यकर्मों में प्रवेश लिया है को रु.12,400/- प्रति माह प्रति छात्र की दर से स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

1.1 छात्रवृत्ति की राशि:

योजना के तहत छात्रवृत्ति रु. 12,400 / - प्रति छात्र प्रति माह है।

1.2 अवधि :

छात्रवृत्ति 24 माह तक के लिए अथवा कक्षाओं के प्रारंभ होने की तारीख से लेकर कक्षाओं के पूरा होने की तारीख तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिए देय है और किसी भी परिस्थिति में छात्रवृत्ति को बढ़ाया नहीं जाएगा।

1.3 छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:

स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए केवल वे छात्र पात्र है:

i) प्रवेश के समय वैध गेट / जीपेट स्कोर हो।
ii) पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश होना चाहिए।
iii) अभातशिप द्वारा अनुमोदित संस्थानों / विश्वविद्यालय विभागों में प्रवेश कराया गया हो।
iv) अभातशिप द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों: इंजीनियरी निष्णात (मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग), प्रौद्योगिकी (मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी), वास्तुकला निष्णात (मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर) और भेषजी निष्णात (मास्टर ऑफ फार्मेसी) कार्यक्रम में प्रवेश लिया हो।

1.4 अन्य अधिकार:

छात्र निम्नलिखित छुट्टियों के लिए पात्र हैं:

आकस्मिक छुट्टी: एक शैक्षणिक वर्ष में 15 दिन

चिकित्सा छुट्टी : एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम एक महीने (30 दिन)

मातृत्व छुट्टी	:	उम्मीदवार भारत सरकार के समय समय पर जारी किए गए नियमों अनुसार उनकी अध्येतावृति के पूर्ण कार्यकाल के दौरान अध्येतावृति (फेलोशिप) की पूर्ण दरें जारी किए जाते हुए एक बार मातृत्व / पितृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। तथापि किसी भी परिस्थिति में फेलोशिप की अधिकतम अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

नोट: सभी प्रकार के अवकाश को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान के स्तर पर अनुमोदित किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के छुटटियों के लिए विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

1.5 <u>नियम और शर्तें:</u>

i) स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति का अनुदान इस शर्त के अध्यधीन है कि छात्र को संस्थान में अध्ययन के दौरान किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति / कोई भी वित्तीय सहायता, वेतन, वजीफा आदि के रूप में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती हो। किसी भी अन्य स्रोतों से किसी भी वित्तीय सहायता की प्राप्ति के मामले में, छात्रवृत्ति को बंद कर दिया जाएगा और छात्रवृत्ति की पूरी राशि नई दिल्ली में देय "सदस्य सचिव, अभातशिप" के पक्ष में अहरित ड्राफ्ट द्वारा अभातशिप को वापस करनी होगी।

ii) विदेशी छात्रों, प्रायोजित उम्मीदवारों और प्रबंधन कोटा के माध्यम से स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों में भर्ती होने वाले उम्मीदवार छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

iii) प्रत्येक स्नातकोत्तर छात्र के लिए संस्थान द्वारा उसे सौंपे गए शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों से संबंधित 8 से 10 घंटे (प्रति सप्ताह) का कार्य करना अनिवार्य होगा। इसमें ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला कक्षाएं, प्रयोगशालाओं का विकास और रखरखाव, संकाय सदस्यों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में सहायता, कंप्यूटर और अन्य केंद्रीय सुविधाओं के रखरखाव और संचालन, पुस्तकालय में सहायता आदि शामिल हो सकते हैं।

iv) मासिक आधार पर छात्र को छात्रवृत्ति दी जाएगी जो समय-समय पर संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रमाणित और बिंदु संख्या (iii) के अनुसार अनिवार्य संतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन और विश्वविद्यालय / संस्थान के मानदंडों / नियमों और विनियमों के अध्यधीन होगी ।

v) स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति पुनः गेट / जीपेट परीक्षा में अर्हता प्राप्त किए जाने के आधार पर दूसरी बार प्रवेश लेने वाले ऐसे छात्रों के लिए स्वीकार्य नहीं है, जिन्होंने पहले ही अभातशिप से या किसी भी अन्य केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान जैसे - आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी आदि से छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली है।

vi) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार, स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति की राशि में परिषद की कार्यकारी समिति के अनुमोदन से परिवर्तन होता है।

vii) छात्र को इस आशय का वचन देना होगा कि वह पाठ्यक्रम को बीच में नहीं छोड़ेगा। यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है या बाद के वर्ष में असफल / ड्रॉप आउट हो जाता है, तो उसे पाठ्यक्रम छोड़ने के समय पर प्राप्त कुल स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति को वापस करना होगा।

viii) छात्र द्वारा किसी भी प्रकार के कदाचार जैसे कि रैगिंग की गतिविधियों, दुर्व्यवहार आदि के कार्य में लिप्त पाए जाने पर किसी भी समय संस्था प्रमुख (HOI) की सिफारिशों पर छात्रवृत्ति बंद की जा सकती है।

ix) दिनांक 22 जुलाई, 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार के तकनीकी अनुभाग-I द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9-2 / 2007-टीएस I के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुसार वेतन अनुदान या कोई अन्य अनुदान उदाहरण के लिए आकस्मिकता, पुस्तकालय, पुस्तकें आदि से सम्बंधित अनुदान इस योजना को लागू करने वाले संस्थान / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

x) छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किए जाने की विधि और प्रक्रिया अभातशिप के नीतिगत निर्णय के अनुसार होगी, जैसा कि समय-समय पर इसके वेब-पोर्टल पर या प्रमुख अंग्रेजी / हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

xi) कार्यक्रम के पूरा होने के एक वर्ष पश्चात किए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

xii) अभातशिप समय-समय पर आवश्यक समझी गई कोई भी अन्य शर्तें लागू कर सकता है और अभातशिप का निर्णय अंतिम होगा तथा स्नातकोत्तर (पीजी छात्रवृत्ति की प्राप्ति हेतु अभातशिप के दायरे में आने वाले) विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय / छात्र के लिए बाध्यकारी होगी।

स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की सुविधा के लिए संस्थानों की जिम्मेदारियां

क्र. सं.	बिन्दु	जिम्मेदारियां
1.	दोहरी / जाली छात्रवृति से बचने के लिए	संस्थानों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रवेश पाए छात्र को संस्थान में अध्ययन के दौरान किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति / किसी भी आय, वेतन, वजीफा आदि के रूप में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त न हो।
2.	गेट / जीपेट स्कोर कार्ड	संस्था यह सुनिश्चित करे कि छात्र केवल वैध गेट / जीपेट स्कोर कार्ड संलग्न करें (गेट परिणाम स्वीकार्य नहीं है)

3.	आधार कार्ड	छात्र का नाम और आधार नंबर ऑनलाइन आवेदन और अपलोड किए गए आधार कार्ड में दिए गए विवरण के साथ मेल खाना चाहिए।
4.	बैंक विवरण सत्यापन	संस्थान द्वारा निम्नलिखित के आधार पर बैंक विवरण सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करना : i) छात्र का नाम गेट / जीपेट स्कोर कार्ड से मेल खाना चाहिए। ii) संयुक्त बैंक खाता - अनुमति नहीं है iii) लघु बैंक खाता - अनुमति नहीं है iv) बैंक खाता आधार वरीयता प्राप्त के साथ सक्रिय होना चाहिए और स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन को अग्रेषित करने से पहले आधार की वेबसाइट पर जाँच की जानी चाहिए।
5.	अन्य दस्तावेज़	संस्थान को अन्य दस्तावेजों यानी श्रेणी प्रमाण पत्र, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर - एक वर्ष के भीतर जारी), शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र की जांच करनी चाहिए।
6.	आवेदन का सत्यापन और जमा करना	संस्थानों / महाविद्यालयों को दस्तावेज और आवेदन को सत्यापित करना चाहिए और समय पर जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।
7.	उपस्थिति	छात्र की उपस्थिति को सत्यापित और अनुमोदित करके प्रत्येक माह की 15 तारीख तक हर महीने पीजी पोर्टल पर सत्यापित और अग्रेषित किया जाना चाहिए जिसमे "अनुमोदित" अथवा गैर अनुमोदिन स्पष्ट रूप में लिखा हो।
8.	प्रवेश की तिथि, आरंभ और पूर्णता	संस्थान प्रवेश की तिथि, कक्षा के प्रारंभ की तिथि और कक्षाओं के पूरा होने की तिथि की उचित प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे। किसी भी गलत प्रविष्टि के मामले में संबंधित संस्थान को जिम्मेदार माना जाएगा।
9.	पाठ्यक्रम (कोर्स) छोड़ना	यदि किसी छात्र ने संस्थान में पाठ्यक्रम अधूरा छोड़ दिया है, तो नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए: i) संस्थान छात्र से निश्चित तिथि तक भुगतान की गई पीजी छात्रवृत्ति की वसूली सुनिश्चित करें ii) यह ध्यान रखे कि पीजी छात्रवृत्ति लाभार्थी किसी अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त न कर रहा हो। ऐसे मामलों में छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी और छात्रवृत्ति की पूरी राशि को अभातशिप को वापस करना होगा iii) वापस की जाने वाली राशि नई दिल्ली में निम्न पते पर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "सदस्य सचिव, अभातशिप, नई दिल्ली" के पक्ष में देय हो: **निदेशक (एसटीडीसी)** **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,** **वसंत कुंज, नेल्सन मंडेला मार्ग,** **नई दिल्ली -110070** फोन नंबर 01129581119 **ईमेल:** pgscholarship@aicte-india.org